निर्णय लोक अदालत न्याय आपके द्वार

श्री के.आर.चौहान सहायक कलक्टरएवं उपखण्ड अधिकारी(RAS) देवगढ़

केम्प कालेशरिया

प्र.सं 16 / 2018 प्रा.पत्र   निर्णय दिनांक 18.06.2018

अनवान

1. श्री मोहनलाल पिता किशना नायक नि. कालेसरिया तह. देवगढ़ जि. राजसमंद
2. श्री गुलाबचन्द पिता किशना नायक नि. कालेसरिया तह. देवगढ़ जि. राजसमंद
3. श्री गहरूलाल पिता किशना नायक नि. कालेसरिया तह. देवगढ़ जि. राजसमंद
4. श्रीमति लहरी बाई पिता किशना नायक नि. कालेसरिया तह. देवगढ़ जि. राजसमंद
5. श्रीमति श्यामा बाई पिता किशना नायक नि. कालेसरिया तह. देवगढ़ जि. राजसमंद

.........प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री लच्छु पिता श्री गोकल गुर्जर नि. चवला रेल का खेड़ा तह. देवगढ़ जि. राजसमंद

.............विपक्षी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111–128 राज. ले. रे. एक्ट

पत्रवाली आज दिनांक 18.06.2018 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कालेसरिया में पेश हुई। पक्षकारान को जारी सम्मन तामील हो शामिल पत्रावली हैं। पक्षकारान में से मोहनलाल पिता किशना नायक व विपक्षी लच्छु पिता गोकल गुर्जर उपस्थित रहे हें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का आवलोकन किया विवरण इस प्रकार है।

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कालेसरिया प.ह. कालेसरिया त.देवगढ़ में उसकी कृषि भूमि स्थित हैं। जिसके खाता सं. 209 / 210 खसरा नं. 954 / 77 रकबा 3 बीघा कुल किता 1 रकबा 2 बीघा भूमि होकर स्थित है। उक्त वर्णित भूमि की प्रार्थी ने अभी तक पत्थरगढ़ी नहीं करवाई हैं। मौके पर पक्की पत्थर की दीवार अथवा सीमा चिन्ह नहीं होने से प्रार्थी व पड़ौसी के बीच सीमा सम्बंधी विवाद बना रहता है। हर समय फसल बुवाई तथा कटाई के सीमा सम्बधित विवाद करते रहते हैं, जिससे प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमें बाजी के लिये विवश होना पड़ता हैं। मौके पर अशांति कायम रहती हैं। जिससे प्रार्थी उसकी भूमिका शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग काश्त वगैरह नहीं कर पा रहा हैं, यदि प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की बादनपती पत्थरगढी हो जाती है तो इस समस्या का हमेशा हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा तथा प्रार्थी उकसी भूमिका का शान्तिपूर्वक काश्त उपयोग उपभोग वगैरह कर सकेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। तत्पश्चात प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कालेसरिया में नियत कर। पक्षकारान को पुनः सूचना पत्र जारी किये गया। प्रत्युतर में प्रार्थी सं. 1 व विपक्षी उपस्थित हुऐ। विपक्षी ने पत्थरगढ़ी कराये जाने में कोई आपति नहीं होना निवेदन किया।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। ग्राम कालेसरिया प.ह. कालेसरिया त.देवगढ़ की नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 में प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार हैं। खातेदार उसके खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी करा सकता हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि जो कि ग्राम कालेसरिया प.ह. कालेसरिया त.देवगढ़ में स्थित हैं। जिसके खाता सं. 209/210 खसरा नं. 954/77 रकबा 3 बीघा कुल किता 1 रकबा 2 बीघा हैं कि पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे की प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा पक्षकारान को सूचित करा मौके पर पत्थरगढ़ी की जाकर रिपोर्ट पैश करें।

पत्रावली फैसल शुमार को नम्बर से कम की जावें। निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कालेसरिया में मजमे आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम कि जावें।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमंद

सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसम.